हिन्दी रूपान्तरण

भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
Website: www.deptpub.gov.in
Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in
TEL.: 2381 7823 / 9689 Fax: 2381 7846

सं. 111/रद्दी कागज/2013-14/सामान्य   दिनांक: 15-5-2015

सेवा में,

मैसर्ज एच टी मीडिया लि० ,
18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग
दिल्ली-110001.

विषय:- प्रकाशन विभाग से वर्ग 'ए' श्रेणी की रद्दी उठाने के लिए संविदा (Contract) के संदर्भ में ।

महोदय,

आपको यह सूचित किया जाता है कि इस विभाग के दिनांक 06-5-2015 के पत्र सं० 111/रद्दी/2013-14/सामान्य के तहत आपको वर्ग 'ए' की रद्दी उठाने के लिए संविदा दिया गया था । संविदा के अनुसार रद्दी उठाने के कार्य को 28 फरवरी 2015 तक पूरा किया जाना था । वर्ग 'ए' की रद्दी उठाने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं तथा सिक्यूरिटी राशि जमा करने के पश्चात् इस विभाग के दिनांक 18-9-2014 के समसंख्यक पत्र के तहत आपकी फर्म को कार्य आदेश जारी किया गया था जिसमें आपको यह निवेदन किया गया था कि रद्दी उठाने के कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जाएं परन्तु लिखित में तथा टेलीफोन से बात-चीत के बावजूद भी इस संबंध में आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

2. तत्पश्चात् इस विभाग के दिनांक 17-10-2014 के पत्र द्वारा आपको यह निवेदन किया गया कि रद्दी उठाने की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करवाया जाए ताकि उस स्थान को अन्य सरकारी प्रकाशनों के लिए उपयोग में लाया जाए परन्तु आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । उसके बाद दिनांक 29-10-2014 को आपके पास एक स्मरण पत्र इस निवेदन के साथ भेजा गया कि दिनांक 07-11-2014 से रद्दी उठाने का कार्य शुरू किया जाए । ऐसा न होने पर आपका सिक्यूरिटी जमा जब्त कर दिया जाएगा तथा संविदा को रद्द कर दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में विभाग द्वारा आगे की ओर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी परन्तु आप करार के निबंधन तथा शर्तो के अनुसार रद्दी उठाने के कार्य को प्रारम्भ करने में असफल रहें ।

3. तत्पश्चात् इस विभाग के दिनांक 24-11-2014 के समसंख्यक पत्र के तहत आपको एक स्मरण पत्र जारी किया गया था जिसमें आपसे वर्ग 'ए' की रद्दी उठाने का निवेदन किया गया था ताकि संविदा करार में दी गई समय अवधि में ही संविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो सके । उसके पश्चात् दिनाक 09-12-2014 तथा 06-01-2015 के समसंख्यक पत्र के तहत आपको स्मरण पत्र भेजा गया था जिसमें यह सूचित किया गया था कि संविदा करार में दिए गए समय अवधि के दौरान रद्दी को उठाया जाए । उसके बाद आपने दिनांक 13-01-2015 को केवल 20 क्विंटल रद्दी ही उठाई तथा आगे वर्ग 'ए' की रद्दी उठाने के कार्य को बंद कर दिया ।

........2/-

4. तत्पश्चात् इस विभाग के दिनांक 04-02-2015 के समसंख्यक पत्र के तहत आपको अन्तिम नोटिस भेजा गया था जिसमें आपसे वर्ग 'ए' की रद्दी को उठाने के कार्य को शुरू करने का निवेदन किया था ताकि करार में दर्शायी समय अवधि के भीतर ही संविदा की प्रक्रिया पूरी की जा सके अन्यथा आपका सिक्यूरिटी जमा जब्त कर दिया जाएगा तथा करार को भी रद्द किया जाएगा तथा इस संबंध में इस विभाग द्वारा आपसे आगे कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा साथ ही आपकी कम्पनी को भविष्य में किसी भी सरकारी करार के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा विभाग द्वारा दी गई इस चेतावनी/अन्तिम नोटिस के प्रत्युत्तर में आपने दिनांक 09-02-2015 को केवल 78 क्विंटल रद्दी ही उठाई तथा आगे रद्दी उठाने के कार्य को बंद कर दिया तथा दिनांक 25-02-2015 के पत्र के तहत आपने करार की अवधि को आगे एक महीना बढ़ाने के लिए निवेदन किया । आपके निवेदन को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने इस विभाग के दिनांक 20-3-15 के पत्र सं० 111/रद्दी/2013-2014/सामान्य के तहत दिनांक 01-3-2015 से 31-3-2015 तक एक माह के लिए करार अवधि का विस्तार किया । आपने दिनांक27-3-2015 तक लगभग 6000 क्विंटल में से केवल 761 क्विंटल वर्ग 'ए' की रद्दी उठाई 1 उसके पश्चात् आपकी कम्पनी ने रद्दी उठाना बंद कर दिया । इस संदर्भ में विभाग ने ऊपर वर्णित पत्रों के अतिरिक्त आपके दिनांक 28-6-14, 01-7-14, 04-8-2014, 20-814, 29-8-14, 17-11-14, 29-11-14, 14-01-15, 28-01-15, 31-01-15, 03-02-15, 09-02-14, 13-02-2015 तथा 25-02-15 के पत्रों/पश्नों का जवाब भी दिया । आगे यह सूचित किया जाता है कि आपको दी गई करार की अवधि 31 मार्च 2015 को समाप्त हो चुकी है । आप करार की निबंधन और शर्तों को पूरा करने मे पूरी तरह असफल रहे ।

5. रद्दी उठाने की अवधि के दौरान यह पाया गया कि रद्दी को प्रारम्भ में धीरे-धीरे तथा लापरवाही से उठाया गया क्योंकि 'ए' वर्ग की रद्दी को उठाने में आपकी फर्म की शुरू से ही रूचि नहीं थी इसलिए 27-3-2015 तक 'ए' वर्ग की 761 क्विंटल रद्दी उठाने के बाद रद्दी उठाने के कार्य को रोक दिया गया ।

6. उपर्युक्त की दृष्टि से इस विभाग द्वारा आपको दिए वर्ग 'ए' के रद्दी उठाने के करार को रद्द किया जाता है तथा आपकी 3,96,000/- की सिक्यूरिटी जमा राशि जब्त की जाती है । करार में दिए गए निबंधन एवं शर्तो के उल्लंघन करने तथा उन्हें पूरा न करने के लिए आपकी फर्म पर भविष्य में इस विभाग के किसी भी प्रकार के सरकारी करारों के लिए एक वर्ष के लिए रोक लगाई जाती है तथा ब्लैक लिस्ट किया जाता है । इस संबंध में यह अन्तिम निर्णय है तथा भविष्य में इस संदर्भ में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र)
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

5. ई-राजपत्र अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
6. रोकड़ अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतू ।
7. छंटनी अनुभाग को सूचना हेतू
8. बोली में भाग लेने वाले संबधित सभी

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)